दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, सोमवार 27 जुलाई 2020
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

मोबाईल छीनकर बाईक सवार हुये फरार,मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। मोबाईल पर बात करते पैदल जा रहे युवक का बाईक सवार मोबाईल छीनकर फरार हो गये। घटना की रिपोर्ट मोवा थाने में दर्ज की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जय हिन्द चौक लोधीपारा पण्डरी निवासी पंकज जंघेल 20 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 22 जुलाई को 9.30 बजे लोधीपारा सुजूकी शो रूम के सामने मेन रोड पर प्रार्थी वीवो कंपनी का मोबाईल फोन से बात करते हुये जा रहा था तभी पीछे की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों ने मोबाईल छीनकर फरार हो गये। घटना की रिपोर्ट पर 26 जुलाई को पुलिस ने अज्ञात बाईक सवार व्यक्तियों के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

सुबह की सैर पर निकले दो बच्चों को हाइवा ने कुचला एक कि मौत-दूसरा गम्भीर

बालोद। जिले के गुंडरदेही से धमतरी मुख्य मार्ग में मॉर्निंग वॉक में निकले दो स्कूली बच्चों को अज्ञात वाहन ने अपने चपेट में ले लिया। जिससे एक बच्चे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना ग्राम मोखा रजोली के बीच रास्ते की है। यहां रोज स्कूली बच्चे सुबह 4 से 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। रविवार को भी बच्चे मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे थे, तभी गुंडरदेही की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने चपेट में लिया। दुर्घटन के बाद वाहन चालक मौके से फ्रार हो गया। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कक्षा दसवीं के छात्र 16 वर्षीय दीपांशु साहू पिता धनीराम साहू के सिर पर गंभीर चोट आई थी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कक्षा नवमीं के 14 वर्षीय छात्र मिथुन साहू पिता राजेश साहू के कमर में गंभीर चोट आई है। उसे संजीवनी 108 एंबुलेंस से गुंडरदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे राजनांदगांव रेफ्र कर दिया गया।

स्टम्ब व राड से मारकर युवक को चोट पहुंचाया,मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। सड़क घेरकर चल रहे युवक को किनारे चलने की बात कहने पर आरोपियों ने मोटरसाइकिल सवार को स्टम्प एवं राड से मारकर चोट पहुंचया। घटना की रिपोर्ट अभनपुर थाने में दर्ज की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम नायकबांधा अभनपुर निवासी फलेन्द्र 24 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी मोटरसाइकिल से जा रहा था तभी बेलभाठा मार्ग अटल आवास अभनपुर में सड़क घेरकर चलने रहे मुकेश वर्मा ,विकास एवं उनके साथियों को साईड देने की बात कहने पर आरोपियों ने स्टम्ब व राड से मारकर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क ऑटों चालक सहित 3 पकड़ाए ,मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। लाकडाउन के दौरान बेवजह घुमते पाये जाने पर 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पण्डरी व लॉकडाउन के दौरान ऑटो चालक बिना मास्क चार सवार ले जाने पर पुलिस ने पण्डरी थाने में अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीआईपी स्टेट रोड तिराहा पण्डरी में ऑटों चालक सैयद ईमरान 24 वर्ष पिता ईमामुलहक को पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क 4 सवारी लेकर जाते पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ लॉकडाउन के नियम का उल्खंन करने पर अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। इसी तरह खमतराई थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घुमते पाये जाने पर पुलिस ने अलग-अलग जगह से तीन युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेवजह डब्लूआरएस कालोनी में घुमते पाये जाने पर श्रीकांत बारीक 24 वर्ष व धनलक्ष्मी नगर भनपुरी अभिराम पुष्टि 20 वर्ष एवं गोवर्धन नगर खमतराई में जतिन सचदेवा 21 वर्ष के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। तीनों आरोपी बिना मास्क घुम रहे थे व पुलिस द्वारा पुछने पर गोल-मोल जवाब दे रहे थे जिसके बाद तीनों के खिलाफ लाकडाउन के नियम का उल्खंन करने का मामला दर्ज कर लिया गया है।

कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जारी किया आदेश

बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक सार्वजनिक गतिविधियां प्रतिबंधित

न्यायसाक्षी/रायगढ़।
छ.ग.शासन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर श्री भीम सिंह ने बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोक सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये आदेश जारी कर बरमकेला नगर पंचायत संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 30 जुलाई 2020 से 5 अगस्त 2020 मध्य रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण सार्वजनिक सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है।

परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियॉ बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र में प्रतिबंधित/संचालित रहेगी-

बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस/सिटी बस/टैक्सी/आटो/ई-रिक्शा की सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। फल/सब्जी का विक्रय सशर्त (समय पूर्ववत प्रातः 6 से प्रातः12 बजे तक प्रतिदिन) की ही अनुमति होगी। खाद्य पदार्थ, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/ भंडारण/परिवहन की अनुमति प्रतिदिन समय प्रातः07 बजे से मध्यान्ह 10 बजे तक ही होगी। मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त-प्रातः 06 बजे से सुबह 10 बजे तक रहेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रातः07 बजे से प्रातः 10 बजे तक की ही अनुमति होगी।

अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उससे जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवाए केमिस्ट, फार्मेसी (जनऔषधि केन्द्र सहित)मेडिकल इक्युपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, इंडियन रेडक्रास, सोसयटी की सेवायें संचालित रहेंगी। चिकित्सा, नर्स पैरामेडिकल, स्टाफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत स्टाफ एवं सहायक सेवायें संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति होगी। सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं हास्पिटिलिटी सेवाएं (सेलून/नाई दुकान, मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, क्लब, बार, रिसार्ट, लॉज, कैफे, डिस्कोथीक) बंद रहेंगी, अपवाद- स्वास्थ्य/पुलिस/शासकीय सेवक/ स्वास्थ्यकर्मी/श्रमिक/पर्यटक सहित फंसे हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो, बस डिपो/स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन में संचालित केंटीन को छोड़कर। रेस्टोरेंट/होटल को होम डिलिवरी हेतु अनुमति होगी किन्तु टेक अवे की अनुमति नहीं होगी। व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ। सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय

रात्रि कर्फ्यू अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही सम्पूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में रात्रि 07 से प्रातः 06 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगी जिसका कड़ाई से पालन किया जावे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं।

सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्तें

सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इकत्र न होने दिया जाये। दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये। विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियो की अधिकतम संख्या 20 (बीस)होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। समस्त कारखाना/ औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबून एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवष्यक होगा।

कंटेनमेंट एवं संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र बरमकेला बफर जोन घोषित

रायगढ़ । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भीम सिंह ने तहसील बरमकेला के नगर पंचायत में कार्यरत एक स्वीपर के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण वार्ड नंबर 15 नगर पंचायत बरमकेला को कन्टेनमेंट जोन एवं संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र बरमकेला को बफर जोन घोषित किया है।

कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगीः-

अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में जाने या आने पर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उक्त क्षेत्र के सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिए पृथक से कलेक्टर कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी।

वार्ड नंबर 15 नगर पंचायत बरमकेला के कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही हेतु लगाये ड्यूटी के तहत कानून, पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए एसडीएम सारंगढ़ श्री चन्द्रकांत वर्मा एवं प्रशिक्षु डीएसपी गरिमा द्विवेदी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग के लिए अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सारंगढ़ श्री आदित्य ग्रोवर, कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था के लिए नगर पंचायत बरमकेला के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री ज्ञानकुंज कुलमित्र, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिये खण्ड चिकित्सा अधिकारी बरमकेला डॉ.अवधेश पाणिग्राही, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सीईओ जनपद पंचायत बरमकेला श्री एस.एस.पोयाम एवं प्रभारी तहसीलदार बरमकेला श्री राकेश वर्मा तथा आरोग्य सेतु एप्प का शत-प्रतिशत कवरेज के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बरमकेला श्री जी.एस.धीवर को दायित्व सौपा गया है।

कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से ही जीएसटी कार्यालय है बंद

रायपुर (आरएनएस)। जीएसटी कार्यालय में कोरोना संक्रमण फैलने की खबर का खंडन आ गया है। विभाग की ओर से जारी बयान में कहा किया गया 20 जुलाई को प्रथम संक्रिमित व्यक्ति पाए जाने के तत्काल बाद ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गठ थी तथा जिला प्रशासन के सहयोग से जीएसटी कार्यालय को पूरी तरह से सेनेटाइज कराया गया था कार्यालय बिल्डिंग को बंद कर दिया गयाहै। कार्यालय रायपुर वृत्त 4 में प्रथम संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट दिनांक 20 जुलाई को शाम को प्राप्त हुई। उक्त महिलाअपने पति से संक्रमित हुई थी एवं वह उनके पति की टेस्टिंग होने के समय से ही लगभग एक सप्ताह से होम क्वारंटाइन में थी एवं कार्यालय नहीं आ रही थी। उनके संपर्क में आए 7 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग कर समस्त व्यक्तियों का टेस्ट कराया गया। उनके पश्चात विभिन्न वृत्त कार्यालय में अन्य 5 संक्रमित पाए गए जो एसिम्टमेटिक है, उक्त समस्त संक्रमित व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट लॉकडाउन अवधि में आई है।

रोकथाम और बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की

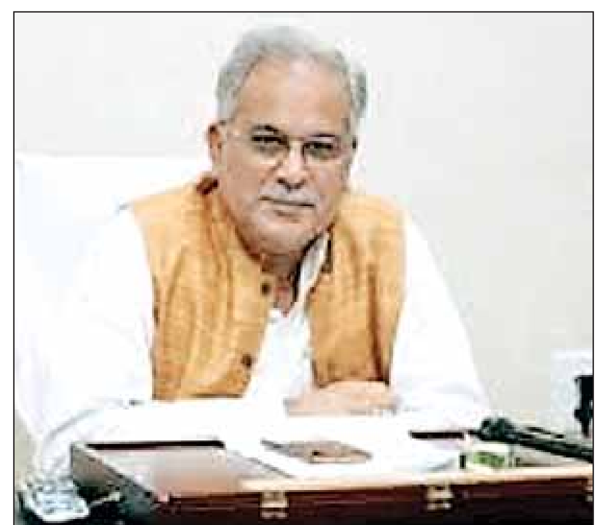

अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेड उपलब्ध

रायगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर सहित प्रदेश वासियों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का अभी इलाज नहीं है, न ही वैक्सीन आ पाया है। इससे बचाव में ही सुरक्षा है। गाईडलाईन के अनुसार मास्क, सेनेटाईजर और फिजिकल डिस्टेंसिंग का लगातार कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। श्री बघेल कल सोनाखान भवन में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। श्री बघेल ने कहा कि राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिन्ता का विषय है।

रायपुर के लोग जागरूक हैं। बचाव के उपायों का पालन कर संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संक्रमण से बचाव के सभी ऐहतियाती उपायों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेस करने संक्रमितों से सक्रिय सहयोग की स्वास्थ्य विभाग रायगढ़ की अपील

संक्रमितों से संपर्क में आए सभी लोगों की जानकारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम को उपलब्ध कराने की अपील की

रायगढ़। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए लोगों से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम को अपने संपर्क में आए सभी लोगों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है। संक्रमितों द्वारा सटीक और पूरी जानकारी दिए जाने से संपर्क में आए लोगों को तेजी से ढूंढा जा सकता है और उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा सकती है। विभाग ने कहा है कि रायगढ़ जिले में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। इस पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विकास सहित कई अन्य विभाग तथा गैर सरकारी व स्वयं सेवी संगठनों के अधिकारी-कर्मचारी लगे हुए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पीड़ितों के सक्रिय सहयोग से संक्रमण पर काबू पाने में काफी मदद मिलेगी।

कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए शासन के प्रयासों के साथ ही आम लोगों द्वारा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर सहयोग जरूरी है। जांच के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर ऐसे व्यक्ति पिछले 14 दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों की जानकारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अधिकारी को स्वतः समक्ष में या फोन पर दें। नियमित सीधे संपर्क में आने वाले ज्यादा जोखिम वाले लोगों और थोड़े समय के लिए कभी-कभार संपर्क वाले कम जोखिम वालों के नाम, मोबाइल नंबर एवं पता की जानकारी संबंधित अधिकारी को तत्काल दें। इससे उन्हें अतिशीघ्र चिन्हांकित कर जरूरत के मुताबिक आइसोलेशन या क्वारेंटाइन में रखा जा सकेगा। साथ ही उनके सैंपल कलेक्शन एवं जांच की व्यवस्था की जा सकेगी। इस तरह त्वरित रूप से उठाए गए कदमों से आगे संक्रमण की संभावना को खत्म किया जा सकेगा। कान्टैक्ट ट्रेसिंग में लगे स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन को प्रभावितों की सक्रिय सहभागिता से कान्टैक्ट ट्रेसिंग में होने वाली देरी को रोका जा सकता है। इससे वायरस का प्रसार रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सामुदायिक सहभागिता निभाते हुए कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राज्य और केंद्र शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलें। कान्टैक्ट ट्रेसिंग में सक्रिय सहयोग कर प्रभावितों की पहचान में शासन-प्रशासन की मदद करें।

बनोरा में स्थापना दिवस के समस्त आयोजन स्थगित :- प्रबंधन

रायगढ़। आगामी 31 जुलाई को अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट बनोरा की मुख्य शाखा रायगढ़ में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थापना दिवस के समस्त आयोजन स्थगित रहेंगे ।मीडिया को इस संबंध की जानकारी देते हुए बताया गया कि कोविड 19 संक्रमण की वजह से अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट ब्रम्हनिष्ठालय रायगढ़ की मुख्य शाखा रायगढ़ में आगामी 31 जुलाई स्थापना दिवस के समस्त आयोजन स्थगित रहेंगे । अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट बनोरा रायगढ़ की शाखा ने अघोर पंथ से जुढ़े समस्त अनुयाइयों को सूचित करते हुये आयोजन स्थगित होने सम्बन्धी जानकारी दी गई है । साथ ही अघोर पंथ से जुड़े समस्त श्रद्धालुओ से आग्रह करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परेशानियों से बचने के लिए आवश्यक व निर्देशित उपायों को लागू कर जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करे ।सोशल डिस्टेंन्स के आवश्यक नियमो का घर पर रहते हूए पालन करे एवं ध्यान धारणा यम नियम पंच शील को जीवन मे उतारे । कोरोना संकट की विपत्ति को अवसर में बदलने के लिए आत्मनिर्भरता को अपनाए जाने की सलाह भी प्रबंधन ने दी है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480